

## कार्यालय,

### सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

#### उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राधिप/परिषद सम्बद्धता/2023/12090001

लखनऊ: दिनांक: 12-09-2023

### कार्यालय आप:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संचालित डिप्लोमा स्तरों पर तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदान अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1694-F I T ENGINEERING COLLEGE

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सीआई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING	60	60
2	MECHANICAL ENGINEERING	60	60

### सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 311/16-3096/9/2022 टी०सी०-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संचालित समस्त संस्थानों की जाँच के विरुद्ध माननीय न्यायालय में पंजीत रिट याचिका संख्या 5027/2023 में माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन सम्बद्धता सिति की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के शासन के अनुरूप संस्थान में समस्त संसाधन (भूमि, भवन, बैंक अकाउंट्स) आदि उपलब्ध है।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, विनियमवली-2000, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा समय-समय पर निर्गमित शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शूलक निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शूलक ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से ज्ञापन किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शूलक के सम्बन्ध में समस्त समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश ग्रहण की जाएंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। शूलक निर्धारण समिति द्वारा पं० सत्र 2023-24 हेतु ए०सी का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो ए०सी की नवीनतम स्वी लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अंशदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गमित शासनादेशों के अनुपालन निरीक्षण एवं सम्बद्धता शूलक जमा करना होगा।

- ✓ समस्त उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/सामनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, 2020, संपूर्ण प्रदेश परीक्षा परिषद, 2020 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2020 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्यों में कायमिक्त अंग हूँकिया नई दिल्ली से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरप्रदेश संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संपूर्ण प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई कार्य दायर किया जाता है तथा दायर दाय के संबंध में सा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संपूर्ण प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लघुमंडल द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए अयोजित प्रदेश परीक्षा हेतु कायमिक्त प्रारंभ होने के पूर्व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्यों में कायमिक्त अंग हूँकिया नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रदेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश हेतु समस्त स्तर पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राविधिक शिक्षा के पुस्तकालय पोर्टल पर संस्था को समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, सार-सजा, उपकरण, प्राय विषय करने वाला सूक्त, छात्रवास सूक्त आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण/प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त बालवस्था उपलब्ध कराने के साथ रेगुलर रीकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक उपस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रशासित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अनिवार्य भूमि, भवन, कर्मचारी, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था को संबद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (समिति) और उपसमिति संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाता। विनियमवली 2000 के प्राविधानानुसार परिषद की मांग पर अपने कर्मचारियों, भवनों और कर्मचारी को परिषद की परीक्षा के संचालन के लिए परिषद के अधिकार में रखेगी।
- ✓ संस्था के अधिक सार्वजनिक निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सार-सजा उपलब्ध/नहीं/अपूर्ण/परिपूर्ण/अपूर्ण/परिपूर्ण के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने (अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

पुं सं०- प्राशिया/परिषद सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिनिधि:

प्रधानाचार्य/निदेशक: F I T ENGINEERING COLLEGE



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव



**APPROVAL PROCESS 2023-24**

**Extension of Approval (EoA)**

F No. Noida/1-35-58735253/2023-EoA

Date: 15-04-2023

To:

The Principal Secretary (Tech. Edu.)  
Govt. of Uttar Pradesh  
33rd Floor, Lucknow-226001  
TGA, Noida Branch  
U.P. Lucknow-226001

Sub: Extension of Approval for the Academic Year 2023-24

Re: Online application of the institution submitted for Extension of Approval for the Academic Year 2023-24

In regard,

In terms of the provisions under the All India Council for Technical Education (Grant of Approval for Technical Education) Regulations, 2020 notified on 4th February 2020 and amended on 24th February 2021 and norms, standards, procedures and conditions prescribed by the Council from time to time, I am directed to convey the approval to:

Permanent Id	41988253	Application Id	13548873003
State of the Institution	UTTAR PRADESH	Name of the Society/Trust	V HARBOS & INSTITUTE OF COMPUTER APPLICATIONS
Institution Address	VADRU BUKAR, GREEN PARK, MADHANA ROAD, MEERUT, MEERUT, Uttar Pradesh, 201001	Society/Trust Address	VJAY SHREE COMPLEX 22, P, SHARMA ROAD, MEERUT, MEERUT, MEERUT, UTTAR PRADESH, 201001
Institution Type	Private-Self Financing	Region	NORTH
Year of Establishment	2007		

To conduct following Courses with the intake indicated below for the Academic Year 2023-24

Level	Program	Course	Approving Body (University/Body)	Intake approved for 2022-23	Intake approved for 2023-24	AIET Approval Status	FN /GUT quota/OCI Approval Status
DIPLOMA	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	ELECTRONICS & COMMUNICATIONS ENGINEERING	Uttar Pradesh Board of Technical Education, Lucknow	60	60	NA	NA
DIPLOMA	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	MECHANICAL ENGINEERING	Uttar Pradesh Board of Technical Education, Lucknow	60	60	NA	NA

Level	Program	Course	Admitting Body (University/Board)	Intake Approved for 2022-23	Intake Approved for 2023-24	NA Approval Status	FN / OBT Status/ OCE Approval Status
UNDER GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	CIVIL ENGINEERING	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	20	20	NA	NA
UNDER GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	20	20	NA	NA
UNDER GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	20	20	NA	NA
UNDER GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	MECHANICAL ENGINEERING	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	20	20	NA	NA

It is mandatory to comply with all the essential requirements as given in AFH 2023-24 (Appendix 5)

## Important Instructions

1. The State Government / UT / Directorate of Technical Education / Directorate of Medical Education shall ensure that 10% of reservation for Economically weaker Section (EWS) as per the reservation policy for admission, operational from the Academic year 2019-20 is implemented without affecting the reservation percentages of SC / ST / OBC(NC) / General; however, this would not be applicable in the case of AIITs/ Institutes referred to the Clause (1) of Article 30 of Constitution of India. Such institutes shall be permitted to increase its annual permitted strength over a maximum period of two years.
2. The institution offering courses either in the Regular Shift, Day Shift, Second Shift/Part Time are now amalgamated as one block and shall have to fulfil all facilities such as Infrastructure, Faculty and other requirements as per the norms specified in the Approval Process Handbook 2022-23 for the Total Approved intake. Further, the institutions Deemed to be Universities / Institutes Seeking Accreditation / Autonomy shall have to maintain the Faculty / Student ratio as specified in the Approval Process Handbook.
3. Strict compliance of Anti-Ragging Regulation, Establishment of Committee for SC/ ST, Establishment of Internal Committee (IC), Establishment of Grievance Redressal Mechanism, Gender Free and Environment for disabled and elderly persons, Fire and Safety Certificate should be maintained as per the provisions made in Approval Process Handbook and AICTE Regulation notified from time to time.
4. In case of any differences in content in this Computer generated Extension of Approval Letter, the content/Information as approved by the Executive Council / General Council shall prevail on the records of AICTE and be final and binding.
5. As per the AICTE notification dated 22.01.2014 and amended thereof, it shall be mandatory for each Technical Education Institution, University Department and Institution Deemed to be University Imparting Technical Education to get Accreditation (NSA) for at least 50% of the eligible courses in the next ONE (1) Year's time, otherwise EOA for the subsequent Academic Year (A.Y.) 2024-25 shall not be issued by the Council.
6. Deemed to be University / Institutions Deemed to be Universities (Running Technical Education Programmes), It is mandatory to have AICTE approval from the Academic Year 2018-19 in compliance of the Hon'ble Supreme Court Order dated 02-11-2017 passed in CA No. 17568-17770-2017.

**Syed Ragu Kumar**  
Member Secretary, AICTE

### Copy to:

1. The Director of Technical Education, Uttar Pradesh
2. The Registrar,  
Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow
3. The Principal / Director,  
KIT ENGINEERING COLLEGE  
Kashi Bazar, Green Park, Main Road, Meerut,  
Meerut, Uttar  
Uttar Pradesh-250001
4. The Secretary / Chairman,  
VIJAY SHREE COMPLEX, 9/1, BHATNAGAR ROAD, MEERUT,  
MEERUT, UTTAR  
Uttar Pradesh-250001
5. Guest File/AICTE

Note: Validity of the Course details may be verified at <http://www.aicte-aiet.org>

This document is computer generated and shall not be communicated through Post/Email. However, a hardcopy of it if required, may be communicated through the registered sign-off.

This is a computer generated Statement. No signature Required.

